

न्यायालय:- चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड (म.प्र.)

(समक्ष : विकाश शुक्ला)

व्यवहारवाद प्रकरण क्र0 2400176ए/2016

फाईल क्र. 1020922016

संस्थापित दिनांक- 07.10.2016

1. सुनीर कुमार दत्तक पुत्र रामसहाय उम्र 38 वर्ष निवासी वहाराय का पुरा परगना व जिला भिण्ड मध्यप्रदेश।

..... वादीगण

वि रू द्ध

1. रामसहाय पुत्र सोनपाल उम्र 83 वर्ष निवासी वहाराय का पुरा परगना व जिला भिण्ड मध्यप्रदेश।
2. मध्यप्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर भिण्ड।

.....प्रतिवादीगण

(// आदेश //)

(आज दिनांक 06.12.2016 को पारित किया गया)

1. इस आदेश द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 सी0 पी0 सी0 दिनांक 04.10.2016 का निराकरण किया जा रहा है।
2. वादपत्र के अभिवचन एवं आवेदन के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी आपस में पिता पुत्र है। प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा वादी को रजि0 गोदनामा दिनांक 28-01-1988 को वादी के जन्मदाता पिता निर्भयसिंह से दत्तक पुत्र की हैसियत से ग्रहण किया गया था, जो प्रतिवादी क्रमांक 1 के यहां दत्तक पुत्र की हैसियत से निवास कर रहा है तथा उनकी संपत्ति मकान एवं काश्तकारी भूमि पर काबिज काश्त है तथा समान भाग का

हिस्सेदार है। मौजा विण्डवा में सर्वे नंबर 62 क्षेत्रफल 0.230, सर्वे क्रमांक 63 क्षेत्रफल 0.230 कुल क्षेत्रफल 0.450 हे. में हिस्सा 1/3 एवं मौजा छूछरी में सर्वे क्रमांक 226 क्षेत्रफल 0.590 सर्वे क्रमांक 0252/2 क्षेत्रफल 0.190 सर्वे क्रमांक 0289 क्षेत्रफल 0.420 हे० का एक मात्र स्वामी है। इसके अतिरिक्त बहारायपुरा गांव में स्थित दोनों खेतों में प्रतिवादी क्रमांक 1 के साथ समान भाग 1/2 का मालिक व स्वामी है। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वादी का पालन पोषण किया एवं शादी की तथा वादी, प्रतिवादी क्रमांक 1 के साथ पत्नी सहित निवास कर रहा है। प्रतिवादी क्रमांक 1 की कोई संतान नहीं है। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने जीवनकाल में चार महिलाओं के साथ विवाह किया है, उनकी वर्तमान में जो पत्नी है, वह चचेरे भाई सियाराम के देहान्त होने के बाद अपने पास रख लिया है और उसी के बहकावे में आकर प्रतिवादी ने अपने हिस्से की जायदाद को विक्रय करना प्रारम्भ कर दिया है तथा कुछ जमीन विक्रय भी कर दी है तथा गांव के मकान को भी विक्रय करना चाहता है तथा विवादित संपत्ति पैत्रिक है। वादी के पास बच्चों का पालन पोषण करने के लिये प्रतिवादी की कृषि भूमि के अलावा अन्य कोई सहारा नहीं है। प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा वादी को विधिवत गोद लिये जाने से वादी उसका दत्तक पुत्र है। इसके अलावा वादी ने प्रतिवादी क्रमांक 1 के विरुद्ध व्यवहारवाद क्रमांक 40/10 न्यायालय में पेश किया गया था, जिसमें विक्रय पर रोक लगायी गयी थी तथा न्यायालय के बाहर राजीनामा हो जाने से प्रतिवादी क्रमांक 1 ने भूमि विक्रय न करने का आश्वासन भी दिया था और इसी आधार पर वाद खारिज किया गया था, लेकिन इसके बाद भी कुछ भूमि विक्रय कर दी तथा और भूमि विक्रय करने पर आमाद है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना वादी के पक्ष में है। अतः आवेदन स्वीकार कर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 वादग्रस्त भूमि का न तो विक्रय करे और न ही ऐसा कोई कार्य करे जिससे वादी के हित व हक प्रभावित हो। आवेदन के समर्थन में वादी ने स्वयं का शपथपत्रीय कथन प्रस्तुत किया है।

3. प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के विधिवत तामील उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है।

4. आवेदन के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि—

- अ. क्या प्रथम दृष्टया मामला वादी/आवेदक के पक्ष में है?
- ब. क्या सुविधा का संतुलन वादी/आवेदक के पक्ष में है?
- स. यदि अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की गई तो क्या वादी/आवेदक को अपूर्णनीय क्षति होना संभावित है?

5. वादपत्र के अभिवचन के पद क्रमांक 2 के अनुसार संपूर्ण वादग्रस्त भूमि का प्रतिवादी क्रमांक 1 स्वामी है। वाद पत्र के साथ प्रस्तुत खसरा एवं खतोनी के अवलोकन से भी प्रतिवादी क्रमांक 1 वादग्रस्त भूमि का स्वामी होना दर्शित है।
6. वादी ने वाद पत्र के संपूर्ण अभिवचन में ऐसा अभिवचन नहीं किया है कि वादग्रस्त भूमि का वह किस प्रकार स्वामी है और किस प्रकार वादग्रस्त भूमि पर उसका अधिकार है, जबकि यह वाद स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. वादी के द्वारा किये गये अभिवचन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों से वादग्रस्त भूमि पर प्रथम दृष्टया वादी का कोई स्वत्व/स्वामित्व संबंधी अधिकार होना दर्शित नहीं है, बल्कि वादी के ही अभिवचन से प्रतिवादी क्रमांक 1 वादग्रस्त भूमि का स्वामी है। अतः उपरोक्त के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में होना नहीं पाया जाता है।
8. जहां तक सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना का वादी के पक्ष में होने का संबंध है, चूंकि प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में होना नहीं पाया गया है, ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना भी वादी के पक्ष में होना नहीं मानी जा सकती। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना भी वादी के पक्ष में नहीं है।
9. अतः उपरोक्त दर्शित तथ्य एवं परिस्थितियों में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों सिद्धांत वादी के पक्ष में न होने से वादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी पी सी निरस्त किया जाता है।

(विकाश शुक्ला)

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
भिण्ड (मध्यप्रदेश)

आदेश आज दिनांक- 06.12.2016 को खुले न्यायालय में उद्घोषित दिनांकित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(विकाश शुक्ला)

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
भिण्ड (मध्यप्रदेश)